

RENEWAL

FORM 'A 2'
ACKNOWLEDGEMENT
{See Clause 8(3)}



Letter No- ३०को०/अनु०- ०८./१४

/Agri., Patna, Dated 24/04/2019

Received from M/s Indian farm Forestry Development Cooperative Ltd, (IFFDC) a complete Memorandum of Intimation along with form 'O' fee of Rs. 2250 by Treasury Challan bearing number 005 Dated 20-11-2018 deposited in State Bank of India, Baily Road, Patna.

1. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorization entitling the applicant to carry on the business as applied for, (as mentioned in table below), till 18-11-2021 unless suspended or revoked by the competent authority.

Dated.....

Sd/-

Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna
Date.....

MOI ACKNOWLEDGEMENT No- 199(R)

DESCRIPTION OF THE PLACE AND TYPE OF BUSINESS

Name and style by which the business is carried on	Location of sale depot	Location of godowns attached to sale depot	Type of Fertilizer	Source of Supply
1	2	3	4	5
M/s Indian farm Forestry Development Cooperative Ltd, (IFFDC) Style- Wholesale Dealer	602-603, Lok Nayak Bhawan, Frazer Road, Patna- 1 (Bihar)	Bihar State Ware Housing Corporation, Fatuha, (Bihar)	1-Neem Coated Urea (Imported & Indegenous) 2-NPK (12:32:16) 3-DAP (Imported & Indegenous)	M/s IFFCO

Name and address of responsible person under clause 24 of FCO 1985:

Mr. Manish Chandra Tiwari
Chief Project Manager (IFFDC)
602-603, Lok Nayak Bhawan, Dak Banglow Chouraha,
Frazer Road, Patna- 1 (Bihar)

Sd/-

Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna
/Agri., Patna, Dated 24/04/2019

Memo No... 272

Copy forwarded to All Joint Directors of Agriculture & District Agriculture Officers for kind information and necessary action.

3

Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

उर्वरक कोषांग

संचिका सं०- उ०को/अनु- ०८/२०१४

/क० पटना, दिनांक

२०१९

कार्यालय आदेश

मे० इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोआपरेटिव लि० (इफडीसी) के उर्वरक विपणन प्राधिकार पत्र संख्या सं० १९९(१) दिनांक १९.०८.२०१६ वैधता तिथि १९.११.२०१८ को दिनांक १८.११.२०२१ तक के लिए नवीकृत किया जाता है। इस सन्दर्भ में निम्न निदेश दिए जाते हैं :-

६. आपके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश १९८५ एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के संगत धाराओं का अनुपालन किया जाएगा।
७. आपके बफर गोदाम के भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।
८. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश १९८५ में दिए गए प्रपत्र N के अनुरूप संघारित किया जाएगा।
९. राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक १०६८ दिनांक ०३.०९.१० जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
१०. बिहार राज्य में विपणन करने के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी से उर्वरक नमूनों की जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

यदि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश १९८५, आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश, के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

अनुलग्नक : पत्रांक १०६८ दिनांक ०३.०९.१० की प्रति।

विश्वासभाजन

ह०/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : २१३

दिनांक :

२४/०१/२०१९

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित उर्वरकों का नमूना लेकर जाँच कराना एवं गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।